भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1875

मंगलवार, 11 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

उद्योगों को बढ़ावा देना

1875. श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डीः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) आन्ध्र प्रदेश में वर्ष 2024 से उद्योगों की स्थापना करने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों में सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में उठाए जाने वाले प्रस्तावित अतिरिक्त कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्यों में औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा कोई योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं;

(घ) यदि हां, तो डीपीआईआईटी द्वारा आन्ध्र प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विगत पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आन्ध्र प्रदेश में डीपीआईआईटी द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत, जारी की गई और उपयोग की गई निधियों का वर्षवार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ग): उद्योग राज्य का विषय है। राज्य अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार स्वयं अपनी औद्योगिक नीतियां बनाते हैं। तथापि, केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश राज्य सहित देश के विभिन्न भागों में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए समय-समय पर कई पहलों और नीतियों की शुरुआत करती है। विभिन्न विभागों और मंत्रालयों की चल रही स्कीमों के अलावा, सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और सुविधा प्रदान करने के लिए कई उपायों को अपनाकर, भारत में घरेलू और विदेशी निवेश को बढ़ावा

देने हेतु कई अन्य कदम उठाए हैं जैसे, राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम (एनआईसीडीपी), मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, भारतीय फुटवियर और चमड़ा विकास कार्यक्रम, पूर्वोत्तर औद्योगिक और निवेश प्रोत्साहन नीति तथा पूर्वोत्तर औद्योगिक विकास स्कीम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में औद्योगीकरण, हिमालयी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में औद्योगिक विकास स्कीमें, पूर्वोत्तर क्षेत्र और हिमालयी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित इकाइयों के लिए जीएसटी व्यवस्था के तहत बजटीय सहायता स्कीम, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी), पीएम गतिशक्ति, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ईओडीबी) को बढ़ावा देना, विभिन्न मंत्रालयों में उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम (पीएलआई) की शुरुआत, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में सुधार, जो पूरे देश में उद्योगों की स्थापना में सहायता प्रदान करते हैं। साथ ही, भारत सरकार के सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों में परियोजना विकास प्रकोष्ठों (पीडीसी) के रूप में, निवेश की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए एक संस्थागत तंत्र स्थापित किया गया है।

एमएसएमई मंत्रालय देशभर में सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) कार्यान्वित कर रहा है। इस स्कीम के तहत, वर्ष 2024-25 में आंध्र प्रदेश में अवसंरचना विकास (आईडी) परियोजनाओं के लिए अनुमोदित परियोजनाओं हेतु 4966.595 लाख रुपए का अनुदान जारी किया गया है।

वस्त्र मंत्रालय ने वर्ष 2021-22 से 2027-28 की अवधि के लिए 4,445 करोड़ रुपए के परिव्यय से पूर्ण रूप से तैयार सुविधाओं सहित विश्व स्तरीय अवसंरचना के साथ ग्रीनफील्ड/ब्राउनफील्ड अवस्थलों में 7 (सात) पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान (पीएम मित्र) पार्क स्थापित करने को अनुमोदन प्रदान किया है। इसके अलावा, वस्त्र क्षेत्र में निवेश बढ़ाने, रोजगार के अवसर सृजित करने और निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मंत्रालय एकीकृत वस्त्र पार्क (एसआईटीपी) स्कीम भी कार्यान्वित कर रहा है। आंध्र प्रदेश राज्य में एसआईटीपी के तहत 4 (चार) वस्त्र पार्क हैं, जिनमें से 1 पार्क पूर्ण हो चुका है और 3 पार्क कार्यान्वयन के अधीन हैं। इन पार्कों का विवरण अनुबंध-I में दिया गया है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) अपनी केंद्रीय क्षेत्र की प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना स्कीम (पीएमकेएसवाई), खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम (पीएलआईएसएफपीआई) और केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण (पीएमएफएमई) स्कीम के माध्यम से आंध्र प्रदेश सहित सभी राज्यों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना/उन्नयन को प्रोत्साहित कर रहा है।

आयुष मंत्रालय ने 122.00 करोड़ रुपए के कुल बजट आबंटन से आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना (एओजीयूएसवाई) नामक एक स्कीम कार्यान्वित की है।

(घ) और (ङ): डीपीआईआईटी के तहत, राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम एक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है जिसका उद्देश्य भूखंड स्तर पर टिकाऊ अवसंरचना तथा पूर्ण रूप से तैयार अवसंरचना के साथ वैश्विक मानकों के ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहरों/क्लस्टरों का निर्माण करना है।

अभी तक, भारत सरकार ने विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम (एनआईसीडीपी) के तहत 20 परियोजनाओं के विकास को अनुमोदन प्रदान किया है। एनआईसीडीपी के तहत, आंध्र प्रदेश राज्य में 3 परियोजनाओं नामत: कृष्णापट्टनम नोड, कोप्पार्थी औद्योगिक क्षेत्र और ओर्वाकल औद्योगिक क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई है।

विगत 5 वर्षों और चालू वर्ष में, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) ने राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास और कार्यान्वयन न्यास (एनआईसीडीआईटी) के माध्यम से एसपीवी को इक्विटी के हिस्से के रूप में, 531.36 करोड़ रुपए मंजूर/जारी किए हैं तथा उनका उपयोग संबंधी विवरण अनुबंध-II में दिया गया है।

*****

अनुबंध-I

दिनांक 11.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1875 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

क्रम सं.	पार्क का नाम	जिला	एसआईटीपी के तहत अनुमोदित परियोजना लागत (करोड़ रुपए में)	पार्क की स्थिति
1	ब्रैंडिक्स इंडिया अपैरल पार्क लिमिटेड	विशाखापत्तनम	134.41	पूर्ण हो चुकी है
2	हिंदूपुर व्यापार अपैरल पार्क लिमिटेड	अनंतपुरम	102.27	कार्यान्वयन के अधीन है।
3	तारकेश्वर टेक्सटाइल पार्क	नेल्लोर	103.44	कार्यान्वयन के अधीन है।
4	गुंटूर टेक्सटाइल पार्क	गुंटूर	105.12	कार्यान्वयन के अधीन है।

*****

अनुबंध-II

दिनांक 11.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1875 के भाग (घ) और (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वर्ष	आंध्र प्रदेश (करोड़ रुपए में)
2019-20	-
2020-21	450.72
2021-22	68.88
2022-23	11.76
2023-24	-
2024-25 (दिनांक 31.01.25 तक)	-
कुल योग	**531.36**

*****